अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

(जी –3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर)

क्रमांकः–एफ.3(न)(सू.अ.) का.प्र./स्थानि./07/ 1233 दिनांक 23-12-2021

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि विभाग एवं निकायों में नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा परिपत्र क्रमांक 11(1)प्रसु/सूअप्र/2015 दिनांक 05.02.2015 तथा अति0 मुख्य सचिव महोदय की ओर से परिपत्र क्रमांक क्रमांक 11(1)प्रसु/सूअप्र/2015 दिनांक 04.07.2016 के निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को यह अवगत कराया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग में द्वितीय अपीलो/परिवादों की सुनावाई में संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी स्वयं उपस्थित नहीं होते है तथा अपने विभाग के किसी भी कार्मिक को पेशी पर भिजवा देते है, जिन्हे उस अपील के संदर्भ में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। इससे अपीलों के निर्णय तो बाधित होते ही है, साथ ही आयोग का समय भी व्यर्थ होता है।

अतः विभाग एवं राज्य की समस्त निकायों के लोक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील/परिवाद की सुनवाई के दौरान संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित होना सुनिश्चित करें एवं किसी विशेष परिस्थिति में यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो विभाग के किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी को लिखित में अधिकृत कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग में द्वितीय अपीलो/परिवादों की सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु पाबन्द करें, जिसे प्रकरण की पूर्ण जानकारी हो।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक प.3(न) (सू.अ.)का.प्र./स्थानि/07/1234-473 दिनांक 23-12-2021

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01.निजी सचिव, निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
02.समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी/सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय।
03.समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
04.समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय राज0
05.उप निदेशक (प्रशा.) प्रभारी अधिकारी,सूचना का अधिकार अनुभाग, निदेशालय को पालनार्थ।
06.आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगर निगम/परिष्द/पालिका समस्त राजस्थान।
07.नोटिस बोर्ड/सुरक्षित पत्रावली।
8- IT. Cell.

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक

D N Lauer os

953